न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–419 / 2026

संजीत कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–14 / 2026

अधीन धारा–126(2), 115(2), 191(2), 190, 109, 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

11.03.2026 गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–14 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 191(2), 190, 109, 352, 351(2), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **संजीत राय उर्फ संजय राय उम्र–34 वर्ष पेसर–भरत राय, सोनु कुमार उम्र–20 वर्ष पेसर–नरेश राय, रंजू देवी उम्र–44 वर्ष पति–नरेश राय, नरेश राय उम्र–49 वर्ष पेसर–भरत राय, मुल्की देवी उर्फ मुन्की देवी उम्र–34 वर्ष पति–अरूण राय, कौशल्या देवी उम्र–65 वर्ष पति–भरत राय एवं जितन राय उम्र–35 वर्ष पेसर–भरत राय** सभी साकिन–नारायणपुर बुजुर्ग, थाना–महुआ, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री जय प्रकाश कुमार** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्यामबाबु राय** तथा सूचिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता **श्री अमरजीत कुमार** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–16.01.2023 को समय करीब 09.30 बजे सुबह में सूचिका अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी तभी एकाएक सोनू कुमार, भरत राय, कौशल्या देवी, नरेश राय, अरूण राय, जीतन राय, संजीत राय, रंजू देवी, मुल्की देवी, मनीषा देवी एवं सुधा देवी एक राय व विचार कर हरवे–हथियार से लैश होकर सूचिका के पास आये और गाली देते हुए बोलने लगे कि वह अपनी पुत्री रिंकी कुमारी की शादी सोनू कुमार से करवा दे नहीं तो बहुत बुरा होगा। सोनू के पिता धमकी देने लगे कि यदि वह अपनी पुत्री की शादी उसके पुत्र सोनू से नहीं करायी तो उसे जान से मार देगे। उक्त बात का विरोध करने पर सभी अभियुक्तगण लाठी–डंडा व लोहे के रड से मारपीट कर सूचिका को जख्मी कर दिये। सूचिका जान बचाने के लिए वहां से भागने का प्रयास की तो नरेश राय अपने हाथ में लिए लोहे के रड से जान मारने की नियत से उसके सर पर मारकर उसका सर फाड़ दिया। अरूण राय अपने हाथ में लिये लाठी से जान मारने की नियत से मारा जो बचने के क्रम में उसके बाएं हाथ के केहुनी के पास लगा और फूट गया। हल्ला की आवाज सुनकर सूचिका का पति नागेन्द्र राय एवं पुत्र मिथलेश कुमार आये तो उनलोगों को घेरकर सभी अभियुक्तगण मारपीट किये। सूचिका के गले से सोने का चैन मुल्की देवी खींच ली। हल्ला की आवाज सुनकर स्थानीय लोग एकत्रित होने लगे तो सभी अभियुक्तगण यह धमकी देते हुए भाग गए कि यदि केस करोगे तो उसके पूरे परिवार को जान से मार देगे।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष हैं तथा

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–419/2026

संजीत कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

11.03.2026

उसे इस मामले में झुठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य, बनावटी व मनगढ़न्त है। आवेदकगण संजीत राय उर्फ संजय राय एवं नरेश राय के विरूद्व गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–36/2015 अंतर्गत धारा–307, 341, 323, 324, 448, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता लंबित है और शेष आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह मामला गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–15/2026 का पलटा मुकदमा है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–109 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जामनत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए खारिज करने का निवेदन करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी की कंडिका 01 से 49 एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर गाली–गलौज करने, सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी की शादी सोनू कुमार से करवाने, लाठी–डंडा व लोहे के रड से मारपीट कर सूचिका को जख्मी करने एवं लोहे के रड से जान मारने की नियत से सूचिका के सर पर मारकर उसका सर फाड़ देने एवं लाठी से मारकर सूचिका के बाएं हाथ के केहुनी के पास फोड़ देने, सूचिका के पति नागेन्द्र राय एवं पुत्र मिथलेश कुमार को घेरकर मारपीट करने एवं सूचिका के गले से सोने का चैन खींच लेने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा सूचिका के गले से सोने का चैन खींच लेने की बात का समर्थन नहीं किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 06 में सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी का बयान अंकित है जिसमें उसने कही है कि एक–दो महीना पहले जब वह स्कूल जाती थी तो बगल के सोनू कुमार (आवेदक) उसके साथ छोड़खानी करता था और इसका फोटो इंस्ट्राग्राम पर छोड़ दिया तो उसके घर बोलने गई तो वे लोग उसे डॉट कर भगा दिया। उसके बाद दिनांक–16.01.2026 को वह बच्चा लेकर आ रही थी तो रास्ते में सोनू जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर खिंचने लगा। कांड दैनिकी की कंडिका 07, 08, 09 एवं 11 में अंकित बयान में साक्षियों ने भी सोनू कुमार (आवेदक) द्वारा सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी के साथ छेड़खानी करने एवं दिनांक–16.01.2026 को सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी का हाथ पकड़ लेने की बात का समर्थन स्पष्ट रूप से किया है। कांड दैनिकी की कंडिका 40 से विदित होता है कि तीन लोगों को जख्म कारित हुई है जिसमें जख्मी बसंती देवी (सूचिका) के जख्म को चिकित्सक द्वारा 2 X 1 X 0.5 सेमी बाईं भौं के उपर चीरा धाव, 4 X 1 X 0.50 सेमी बाएं कोहनी पर चोट का निशान, दाहिने घुटने के उपर (3 X 1) सेमी का

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–419/2026

संजीत कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

11.03.2026

सतही चीरा धाव एवं (3 ग 1) सेमी का फटा हुआ घाव सर के सामने कान के पास वाली जगह पर पाया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर, कुंद एवं तेज धार वाले औजार से कारित जख्म तथा जख्मी मिथलेश कुमार को चिकित्सक द्वारा दाहिने अंगूठे पर सूजन जिसे चिकित्सक द्वारा कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का जख्म एवं जख्मी नागेन्द्र राय के जख्म को चिकित्सक द्वारा चेहरे के बाईं ओर सूजन जिसे चिकित्सक द्वारा कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का जख्म पाया गया है। प्राथमिकी अनुसार आवेदक नरेश राय पर लोहे के रड से सूचिका के सर पर मारकर फाड़ देने एवं सह अभियुक्त अरूण राय पर लाठी से मारकर सूचिका के बाएं हाथ के केहुनी के पास फोड़ देने की आरोप है और शेष आवेदकगण पर कोई विनिर्दिष्ट आरोप नहीं है। जमानत आवेदन की कंडिका 06 से विदित होता है कि यह गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–15/2026 का पलटा मुकदमा है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदकगण संजीत राय उर्फ संजय राय एवं नरेश राय के विरूद्व गंगा ब्रिज थाना कांड सं0–36/2015 लंबित है और शेष आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण संजीत राय उर्फ संजय राय पेसर–भरत राय, रंजू देवी पति–नरेश राय, मुल्की देवी उर्फ मुन्की देवी पति–अरूण राय, कौशल्या देवी पति–भरत राय एवं जितन राय पेसर–भरत राय को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण **संजीत राय उर्फ संजय राय पेसर–भरत राय, रंजू देवी पति–नरेश राय, मुल्की देवी उर्फ मुन्की देवी पति–अरूण राय, कौशल्या देवी पति–भरत राय एवं जितन राय पेसर–भरत राय** को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

आवेदक नरेश राय पेसर–भरत राय पर सूचिका को लोहे के रड से जान मारने की नियत से सर पर मारकर उसका सर फाड़ देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 06, 07, 08, 09, 10 एवं 11 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 40 से विदित होता है कि जख्मी बसंती देवी (सूचिका) के जख्म को चिकित्सक द्वारा 2 X 1 X 0.5 सेमी बाईं भौं के उपर चीरा धाव, 4 X 1 X 0.50 सेमी बाएं कोहनी पर चोट का निशान, दाहिने घुटने के उपर (3 X 1) सेमी का सतही चीरा धाव एवं (3 X 1) सेमी का फटा हुआ घाव सर के सामने कान के पास वाली जगह पर पाया गया है

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–419/2026

संजीत कुमार वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

11.03.2026 जिसे चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर, कुंद एवं तेज धार वाले औजार से कारित जख्म पाया गया है। आवेदक सोनु कुमार पेसर–नरेश राय पर सूचिका के पुत्री रिंकी कुमारी के साथ छेड़खानी करने एवं उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लेने का आरोप है जिसे कांड दैनिकी की कंडिका 06 में सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि एक–दो महीना पहले जब वह स्कूल जाती थी तो बगल के सोनू कुमार (आवेदक) उसके साथ छोड़खानी करता था और इसका फोटो इंस्ट्राग्राम पर छोड़ दिया तो उसके घर बोलने गई तो वे लोग उसे डॉट कर भगा दिया। उसके बाद दिनांक–16.01.2026 को वह बच्चा लेकर आ रही थी तो रास्ते में सोनू जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर खिंचने लगा। कांड दैनिकी की कंडिका 07, 08, 09 एवं 11 में अंकित बयान में साक्षियों ने भी सोनू कुमार (आवेदक) द्वारा सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी के साथ छेड़खानी करने एवं दिनांक–16.01.2026 को सूचिका की पुत्री रिंकी कुमारी का हाथ पकड़ लेने की बात का समर्थन स्पष्ट रूप से किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों एवं उन पर लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुये आवेदकगण सोनु कुमार पेसर–नरेश राय एवं नरेश राय पेसर–भरत राय को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण **सोनु कुमार पेसर–नरेश राय एवं नरेश राय पेसर–भरत राय** का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official